न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूँगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 05 / 2019
जीसीएमएस न.:– 00005 / 2019
प्रविष्टि दिनांकः– 29.08.2019
निर्णय दिनांक :– 01.01.2025

::–उनवान–::

1. भैरवसिंह पिता भवानसिंह राव, जाति राजपूत, उम्र 85 वर्ष, निवासी भाटोली, तहसील साबला जिला डूंगरपुर (राज.) (फौत)
   1/1 श्रीमति हतु कुंवर पत्नी भैरव सिह
   1/2 श्रीमति गमीर कुंवर पुत्री भैरव सिंह राव
   1/3 श्री शिव सिंह पिता भैरव सिंह राव
   1/4 श्री डूले सिंह पिता भैरव सिंह राव
   1/5 श्री भंवर सिंह पिता भैरव सिंह राव
   1/6 श्री देवी सिंह पिता भैरव सिंह राव

अपीलांट

बनाम

1. तुलसीराम पिता गंगाराम उपाध्याय, जाति ब्रम्हण, निवासी पिण्डावल, तहसील साबला,जिला डूगरपुर।
2 लीलाराम पिता गंगाराम उपाध्याय, जाति ब्रम्हण, निवासी पिण्डावल, तहसील साबला,जिला डूगरपुर।
3 महेन्द्र पिता गंगाराम उपाध्याय, जाति ब्रम्हण, निवासी पिण्डावल, तहसील साबला,जिला डूगरपुर।
4 निर्मला पुत्री गंगाराम उपाध्याय, जाति ब्रम्हण, निवासी पिण्डावल, तहसील साबला,जिला डूगरपुर।
5 इन्द्रा पुत्री गंगाराम उपाध्याय, जाति ब्रम्हण, निवासी पिण्डावल, तहसील साबला,जिला डूगरपुर।
6 बसन्ती पत्नि गंगाराम उपाध्याय, जाति ब्रम्हण, निवासी पिण्डावल, तहसील साबला,जिला डूगरपुर।
7 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी, तहसीलदार साबला, जिला डूंगरपुर।

रेस्पोडेण्ट

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम,1970

उपस्थिति :

(1) श्री प्रवीण शुक्ला, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री लक्ष्मीलाल जैन, अभिभाषक रेसपोडेण्ट ।

–:निर्णय:– दिनांक:–01.01.25

1. अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राज.भू.राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन)नियम,1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत पेश किया है। अपील प्रार्थना का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि प्रार्थी गांव भाटोली तहसील साबला जिला डूंगरपुर का निवासी है। भाटोली की हाल जमावन्दी में वर्णित खसरा नम्बर 2947/762 रकबा 10 बीघा भूमि विपक्षीगण के पिता स्व. श्री गंगाराम जी द्वारा वर्ष 1977 में आवंटन होना बताया है जबकि आवंटन होने का कोई रिकार्ड रेवेन्यू विभाग में नही है तथा नही आवंटन के पश्चात विपक्षीगण के पिता के नाम से गैर खातेदारी अधिकार प्रदान किए उक्त 10 बीघा भूमि के सीधे ही खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिए है जबकि तत्कालीन समय में 10 वर्ष तक गैर खातेदारी अधिकार होने के पश्चात् खातेदारी अधिकार प्रदान करने का नियम था। स्व. श्री गंगाराम जी आवंटन के पात्र नही थे वह मौजा पिण्डावल के निवासी थे जबकि भूमि ग्राम भाटोली में स्थित है। आवंटन के पश्चात कभी भी उक्त खसरा न. 2947/764 रकबा 10 बीघा भूमि पर तथाकथित आंवटी का कब्जा नहीं रहा है तथा न ही कभी काश्त की है। भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा तथाकथित आवंटन के पूर्व से चला आ रहा है। आवंटन के शर्तो की पालना विपक्षी के पिता आवंटी गंगाराम जी द्वारा नही की गई है आवंटन के पश्चात् आवंटी को नियमानुसार काश्त की जानी थी परन्तु आंवटी ने तथा आवंटी की मृत्यु उपरान्त विपक्षीगण द्वारा कभी काश्त नहीं की है। कब्जा सूपूर्द भी नही किया गया है। आवंटी के नाम गैर खातेदारी नामान्तरण नही खोला गया है। सीधे ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये जो कि सही नहीं है। जब प्रार्थी के कब्जे की वादग्रस्त भूमि पर दो वर्ष पूर्व विपक्षीगण अतिक्रमण करने आए तब प्रार्थी को जानकारी हुई कि वादग्रस्त आराजी विपक्षीगण के नाम से राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। अतः आवंटन निरस्त करने हेतु यह अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्री स्व. गंगाराम द्वारा राजस्व रिकोर्ड में अपना नाम तथाकथित आवंटन का हवाला देकर fraud/Misreprasent कर दर्ज कराया है।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

अतः उपरोक्त अपील प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर मौजा भाटोली तहसील सावला का खसरा न. 2947/762 रकबा 10 वीघा का आवंटन निरस्त कर विपक्षीगण का नाम राजस्व रिकोर्ड से हटाकर भूमि विलानाम सरकार किये जाने का आदेश फरमावे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी जरिये सम्मन जारी कर की गई । रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 6 की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीलाल जैन द्वारा वकालतनामा पेश किया।

3. अपीलाण्ट द्वारा पेश अपील प्रार्थना पत्र का रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 6 की ओर से जवाब पेश किया। जवाब का सक्षिप्त सार इस प्रकार है कि गांव भाटोली में स्थित आराजी नम्बर 762 कि कृषि भूमि में से सन 1974 में राज्य सरकार के द्वारा प्रतिपादित नियमों के अनुरूप विपक्षीगण के पिता गंगारामजी पुत्र धनराज ब्रहम्ण निवारी पिण्डावल के नाम दस बीघा जमीन आवंटित कर कब्जा मौके पर सुपूर्द किया गया। तत्पश्चात् राजस्व रिकोर्ड में इसका नया खसरा नम्बर 2947/762 विपक्षीगण के पिता गंगाराम के नाम गैर खातेदारी के रूप में दर्ज हुआ है। तहसीलदार आसपुर द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र 4027/25/राज./ख./77 जयपुर दिनांक 01/06/1977 और 405/राजस्व/ग्रुप/4/77 जयपुर दिनांक 26/08/1977 के अन्तर्गत उनके पत्र क्रमांक/77 दिनांक 17/11/1977 में उल्लेख करते हुए श्री गंगारामजी को वादग्रस्त भूमि के गैर खातेदारी अधिकार से खातेदारी अधिकार दिनांक 17/11/77 के तहत प्रदान किये। जिसके फलस्वरूप नामान्तरणकरण बतौर खातेदार के श्री गंगारामी के नाम खोला गया जिसे तत्कालीन तहसीलदार आसपुर के द्वारा प्रमाणित किया गया। राज्य सरकार के आदेश 405/राजस्व/ग्रुप/4/77 दिनांक 26/08/77 के अन्तर्गत जिन लोगो को 1974 तक भूमि आवंटित की गई है उन्हे दस वर्षो में से बाकाया वर्षो की समयावधि के लगान के ढाई गुना राशि ली जाकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावे। जिसके तहत राज्य सरकार के आदेशानुसार श्री गंगाराम ने 82 रूपया 50 पैसा जरिए रसीद नम्बर 76964/42 जमा करवाये और खातेदारी अधिकार विधिरूप से प्रदान किये गये है। सन् 1974 से लेकर 1986 तक वादग्रस्त भूमि पर कब्जा एवं काश्त श्री गंगारामजी का रहा। तत्पश्चात् विपक्षीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। श्री गंगारामजी के दिगर खेत गांव भाटोली में स्थित है। गांव भाटोली और पिण्डावल की आराजीयात मिली हुई है। वादग्रस्त भूमि के चारो ओर सन् 1974 में ही थुअर की बाड श्री गंगारामजी ने लगाई थी जो आज भी मौजूद है। वादग्रस्त भूमि श्री गंगारामजी के नाम सन् 1974 में आवंटित होकर गैर खातेदारी के रूप में राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज हुआ तत्पश्चात् बतौर खातेदार राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हुई। वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेण्ट द्वारा गत 45 वर्षो से खातेदार काश्तकार के रूप में राजस्व रिकोर्ड में दर्ज चले आ रहे है और अब प्रार्थी ने झूठे बनवाटी

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

तथ्यों के आधार पर 45 वर्षो के बाद यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। माननीय उच्च न्यायालयों के कई दृष्टान्त है कि जब एक कृषक को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है तब इसके पश्चात् उसका आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा जो तथ्य बताये है वो मिथ्या होने से स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थी को आवंटन सन् 1974 से ही वादग्रस्त भूमि श्री गंगाराम के नाम आवंटित होने, कब्जा एवं काश्त होने की जानकारी है। श्री गंगाराम एवं उनके पुत्र ने राशि लगाकर उसमें सुधार कर जमीन को उपजाउ बनाया है। विपक्षीगण का इस जमीन पर कब्जा एवं काश्त गत 45 वर्षो से है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावें।

4. हमनें अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी।

5. अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी भाटोली का निवासी है। भाटोली की हाल जमाबन्दी में वर्णित खसरा नम्बर 2947/762 रकबा 10 बीघा भूमि विपक्षीगण के पिता स्व. श्री गंगाराम जी द्वारा वर्ष 1977 में आवंटन होना बताया है जबकि आवंटन होने का कोई रिकार्ड नही है तथा नही आवंटन के पश्चात विपक्षीगण के पिता के नाम से गैर खातेदारी अधिकार प्रदान किए। उक्त 10 बीघा भूमि के सीधे ही खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिए है जबकि तत्कालीन समय में 10 वर्ष तक गैर खातेदारी अधिकार होने के पश्चात् खातेदारी अधिकार प्रदान करने का नियम था।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि स्व. श्री गंगाराम जी आवंटन के पात्र नही थे। वह मौजा पिण्डावल के निवासी थे जबकि भूमि ग्राम भाटोली में स्थित है। आवंटन के पश्चात कभी भी आवंटित आराजी पर आंवटी का कब्जा नहीं रहा है तथा न ही कभी काश्त की है। भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा आवंटन के पूर्व से चला आ रहा है। आवंटन की शर्तो की पालना विपक्षी के पिता आवंटी गंगाराम जी द्वारा नही की गई है। आवंटन के पश्चात् आवंटी को नियमानुसार काश्त की जानी थी परन्तु आंवटी ने तथा आवंटी की मृत्यु उपरान्त विपक्षीगण द्वारा कभी काश्त नहीं की है। कब्जा सूपूर्द ही नही किया गया है। आवंटी के नाम गैर खातेदारी नामान्तरण नही खोला गया है। सीधे ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये जो कि सही नहीं है। जब प्रार्थी के कब्जे की वादग्रस्त भूमि पर दो वर्ष पूर्व विपक्षीगण जबरन प्रार्थी के कब्जे की भूमि पर अतिक्रमण करने आए तब प्रार्थी को जानकारी हुई कि वादग्रस्त आराजी विपक्षीगण के नाम से राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। अतः आवंटन निरस्त करने हेतु यह अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की है। श्री स्व. गंगाराम द्वारा राजस्व रिकोर्ड में अपना नाम तथाकथित आवंटन का हवाला देकर fraud/Misreprasent कर दर्ज कराया है।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

अतः उपरोक्त अपील प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर मौजा भाटोली तहसील साबला का खसरा न. 2947/762 रकबा 10 बीघा का आवंटन निरस्त कर विपक्षीगण का नाम राजस्व रिकोर्ड से हटाकर भूमि बिलानाम सरकार किये जाने का आदेश फरमावे।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा अपनी बहस में जवाब में कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि गांव भाटोली में स्थित आराजी नम्बर 762 कि कृषि जमीन में से सन 1974 में राज्य सरकार के द्वारा प्रतिपादित नियमों के अनुरूप विपक्षीगण के पिता गंगारामजी पुत्र धनराज जी ब्राहम्ण निवासी पिण्डावल के नाम दस बीघा जमीन आवंटित कर कब्जा मौके पर सुपूर्द किया गया। तत्पश्चात् राजस्व रिकोर्ड में इसका नया खसरा नम्बर 2947/762 विपक्षीगण के पिता गंगाराम के नाम गैर खातेदारी के रूप में दर्ज हुआ है। तहसीलदार आसपुर द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र 4027/25/राज./ख./77 जयपुर दिनांक 01/06/1977 और 405/राजस्व/ग्रुप/4/77 जयपुर दिनांक 26/08/1977 के अन्तर्गत उनके पत्र क्रमांक/77 दिनांक 17/11/1977 में उल्लेख करते हुए श्री गंगारामजी को वादग्रस्त भूमि के गैर खातेदारी अधिकार से खातेदारी अधिकार दिनांक 17/11/77 के तहत प्रदान किये। जिसके फलस्वरूप नामान्तरणकरण बतौर खातेदार के श्री गंगारामी के नाम खोला जाकर तत्कालीन तहसीलदार आसपुर के द्वारा प्रमाणित किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि राज्य सरकार के आदेश 405/राजस्व/ग्रुप/4/77 दिनांक 26/08/77 के अन्तर्गत जिन लोगो को 1974 तक भूमि आवंटित की गई है उन्हे दस वर्षो में से बाकाया वर्षो की समयावधि के लगान के ढाई गुना राशि ली जाकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावे। जिसके तहत राज्य सरकार के आदेशानुसार श्री गंगाराम ने 82 रूपया 50 पैसा जरिए रसीद नम्बर 76964/42 जमा करवाये और खातेदारी अधिकार विधिवत रूप से प्रदान किये गये है। आवंटन के समय से आज तक वादग्रस्त भूमि पर विपक्षीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। श्री गंगारामजी के दिगर खेत गांव भाटोली में स्थित है। गांव भाटोली और पिण्डावल की आराजीयात मिली हुई है। बहस में आगे निवेदन किया कि प्रार्थी ने झूठे बनवाटी तथ्यों के आधार पर 45 वर्षो के बाद यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। माननीय उच्च न्यायालयों के कई दृष्टान्त है कि जब एक कृषक को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है तब इसके पश्चात् उसका आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा बहस में आगे निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा जो तथ्य बताये है वो मिथ्या होने से स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थी को आवंटन के समय से ही वादग्रस्त आराजी श्री गंगाराम के नाम आवंटित होने, कब्जा काश्त होने की जानकारी रही है। श्री गंगाराम एवं उनके वारीसान द्वारा राशि लगाकर उसमें सुधार कर उपजाउ जमीन बनाई है। विपक्षीगण

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

का इस जमीन पर कब्जा काश्त गत 45 वर्षो से है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जायें।

7. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकोर्ड/दस्तावेज का ध्यायनपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2025–28 मौजा भाटोली खसरा स. 2947/762 रकबा 10 बीघा गंगाराम पिता धनराज ब्रा. सा.पीण्डावल गैर खातेदार के रूप में दर्ज रिकोर्ड है। इसी प्रकार जमाबन्दी संवत् 2033–36 के खाता संख्या 265 में खसरा संख्या 2947/762 रकबा 10–00 बीघा किस्म सु–II होकर गंगाराम पिता धनराज ब्रा.सा.पीण्डावल गैर खातेदार के रूप में दर्ज है। मौजा भाटोली के नामान्तरण सं.340 दिनांक 17.11.77 द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार गंगाराम पिता धनराज ब्रा.सा.पीण्डावल को प्रदान किये गये। गंगाराम पिता धनराज ब्रा.सा.पीण्डावल के फौत उपरान्त वारिसान के नाम जरिये विरासत नामान्तरण के वादग्रस्त आराजी मौजा भाटोली खसरा संख्या 2947/762 रकबा 10–00 बीघा वर्तमान में दर्ज रिकोर्ड है।

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेण्ट के पूर्वज पिता/पति स्व. श्री गंगाराम पिता धनराज जाति ब्राहम्ण निवासी पिण्डावल जिला डूंगरपुर को आवंटित भूमि खसरा न. 2947/762 रकबा 10 बीघा आराजी के आवंटन को खारिज कराना चाहता है, कि आवंटी श्री स्व. गंगाराम पिता धनराज के नाम इस आवंटित आराजी का गैर खातेदारी नामान्तरण नहीं खुला था, तथा बिना गैर खातेदारी का नामान्तरण खोले सीधे आवंटी श्री स्व. गंगाराम पिता धनराज को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये। अपीलार्थी द्वारा इस आवंटन को fraud/Misreprasent बताया है तथा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना तथा कब्जा काश्त नहीं होना भी अपनी अपील प्रार्थना पत्र में अंकित किया है।

अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी पर स्वंय के कब्जा काश्त के सम्बन्धित साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है और जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है उनसे यह साबित नहीं होता है कि गंगाराम पिता धनराज ब्रहम्ण को आवंटित भूमि पर उसका कब्जा रहा है।

इसी प्रकार अपीलाण्ट द्वारा आवंटन को fraud/Misreprasent होना बताया है जबकि नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अन्तर्गत ऐसा आवंटन जो कपट अथवा मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा कराया हो या नियम विरूद्व किया गया हो या आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की हो तो इस प्रकार के आवंटन को नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अन्तर्गत खारिज किया जा सकता है। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा इस प्रकार का कोई दस्तावेजी

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर आवंटन fraud/Misreprasent होना सावित होता हो।

आवंटन से सम्बन्धित मूल मिसल तलब करने पर उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के पत्र क्रमांक 9422–24 दिनांक 07.09.22 द्वारा यह बताया गया कि आवंटन मिसल से सम्बन्धित रिकोर्ड उपलब्ध नहीं है। आवंटन रिकोर्ड उपलब्ध नहीं होना यह कदापि सावित नहीं करता है कि आवंटन fraud/Misreprasent से हुआ है। जबकि खातेदार को खातेदारी अधिकार विधिवत रूप से प्राप्त होकर लम्बे समय से खातेदार के रूप में जमाबन्दी रिकोर्ड में दर्ज है। किसी खातेदार को केवल आवटंन रिकोर्ड पत्रावली उपलब्ध नहीं होने पर खातेदारी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता और उसके खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकते है। यह प्रार्थी को स्वंय साक्ष्यों/दस्तावेजो से यह सावित करना है कि आवंटन fraud/Misreprasent से हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 बिना किसी आधार पर पेश करने से अस्वीकार करते हुए खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश धाकड)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूँगरपुर–राज0